

(11)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 143/2017

1. श्रीमती रामचारी आयु 72 वर्ष स्त्री गणपतसिंह जाति जाट निवासी मदनसर तहसील व जिला झुंझुनू (राज)

--वादीया

- बनाम
1. सजीद अली आयु 49 वर्ष } पुत्रगण वाहिदखां जाति कायमखानी निवासी मदनसर तहसील व  
2. रफीक आयु 31 वर्ष } जिला झुंझुनू  
3. श्रीमती धापादेवी आयु 85 वर्ष स्त्री } नागर जाति जाट निवासी मदनसर  
4. कुरडाराम आयु 48 वर्ष पुत्र } तहसील व जिला झुंझुनू  
5. तहसीलदार भू. अभिलेख झुंझुनू  
6. नायब तहसीलदार (भू. अभिलेख) झुंझुनू

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :-

- श्री राजेश पूनियाँ, एडवोकेट - वादीया की ओर से  
श्री श्रवण कुमार जी.ए. एडवोकेट- राज्य सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक :-21.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि यह कि जमीन हाल ख.न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर सरहद राजारव ग्राम मदनसर पटवार हल्का भीमसर तह. तहसील झुंझुनू में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के पहले खातेदार प्रतिवादी न. 3 व 4 बहिस्ता बराबर थे। प्रतिवादी न. 3 व 4 ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से 0.36 हैक्टर जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 20.11.2015 को प्रतिवादी न. 1 व 2 को विक्रय कर प्रतिवादी न. 1 व 2 के हक में दिनांक 20.11.2015 को ही उप पंजीयक मण्डावा के यहा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। यह कि विक्रय पत्र दिनांकित 20.11.2015 के बाद प्रतिवादी न. 3 व 4 ने विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 में विक्रय की गई जमीन को वापस कय करने की सहमति जाहिर की इस कारण विक्रय पत्र दिनांकित 20.11.2015 का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ तथा प्रतिवादी न. 1 व 2 ने विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2015 के आधार पर खसरा न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर जमीन वापस प्रतिवादी न. 3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 17.12.2015 को विक्रय कर दिनांक 17.12.2015 को ही प्रतिवादी न. 3 व 4 के हक में उप पंजीयक मण्डावा के यहा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। यह कि विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2015 के बाद विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2015 में वर्णित जमीन को वाद में पुनः प्रतिवादी न. 1 व 2 ने कय करने की सहमति जाहिर की इस कारण विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2015 का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका तथा विक्रय पत्र दिनांकित 17.12.2015 के आधार पर पुनः प्रतिवादी न. 3 व 4 ने प्रतिवादी न. 1 व 2 के हक में दिनांक 22.03.2016 को पुनः जमीन हाल ख.न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर जमीन विक्रय कर उप पंजीयक मण्डावा के यहा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रय पत्र दिनांकित 23.03.2016 के बाद प्रतिवादीगण के मध्य अदालत हाजा में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विक्रय पत्र दिनांकित 22.03.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 23.06.2016 को स्थगन के दौरान स्वीकृत होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 116 के संबन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध जिला कलेक्टर झुंझुनू के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें नामान्तरकरण संख्या 116 ग्राम मदनसर के संबन्ध में पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 116 को खारिज कर दिया लेकिन विक्रय पत्र दिनांकित 22.03.2016 निरस्त नही होने के कारण प्रतिवादी न. 1 व 2 विक्रय पत्र दिनांकित 22.03.2016 के आधार पर जमीन हाल ख.न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर जमीन के रचाणे

उपखण्ड अधिकारी  
झुंझुनू (राज.)


12

व खातेदार हुये। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने विक्रय पत्र दिनांकित 22.03.2016 के आधार पर जमीन हाल ख.न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर जमीन 9,50,000 रुपये के प्रतिफल के बदले कब्जे सहित दिनांक 04.09.2017 को वादीया को विक्रय कर वादीया के हक में दिनांक 04.09.2017 को ही उप पंजीयक मण्डावा के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। यह कि वादीया ने अपने हक में हुये विक्रय पत्र दिनांकित 04.09.2017 के आधार पर प्रतिवादी न. 5 व 6 से नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत दिनांक 27.10.2017 को निवेदन किया तो प्रतिवादी न. 5 व 6 ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि प्रतिवादी न. 1 व 2 वर्तमान में जमीन के खातेदार नहीं है तथा माननीय न्यायालय में रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी इस कारण मौजूदा वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनांक 27.10.2017 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी न. 5 व 6 ने वादिया के निवेदन को इन्कार कर सक्षम न्यायालय अदालत हाजा में रेगुलर दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी तब वाद कारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। यह कि मौजूदा वाद पत्र में प्रतिवादी न. 5 व 6 लोक सेवक है। कानून से लोक सेवक के विरुद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80:1: जा.दी. के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट प्रकृति का होने के कारण धारा 80:2: जा.दी. के तहत पेश किया जा रहा है। इजाजत के लिये धारा 80:2: जा.दी. का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। दावा सुनने का हक अदालत हाजा को होने पर पेश किया गया है। अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर राजस्व ग्राम मदनसर पटवार मण्डल भीमसर में से वादीया को विक्रय पत्र दिनांकित 04.09.2017 के मुताबिक 0.36 हैक्टर जमीन की खातेदार काश्तकार घोषित की जावें तथा वादिया के कब्जे काश्त की उक्त 0.36 हैक्टर जमीन का अलग से विधिवत बंटवारा किया जाकर अलग खातेदारी में दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें कि वादिया के कब्जे काश्त एवं उपयोग, उपभोग में बाधाकारित नहीं करें व मौका व रिकार्ड की यथा रिथिति बनाये रखने का निवेदन किया है। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी न. 1 व 2, 3 व 4 बावजुद तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी न. 5 द्वारा जवाब दावे के रूप में आदेशिका पर अंकित किया है कि विक्रय पत्र के अनुसार वादिया के नाम रिकार्ड दर्ज किया जा सकता हो व राजस्व हानि न हो तो कोई एतराज नहीं होना अपने जवाब में वर्णित किया है। तत्पश्चात वादिया ने शाहदत वादी के रूप में शपथ-पत्र पी.डब्लू. 1 पेश किया। जो शामिल मिसल है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों का व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का गहनता से मनन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया जिससे वाद वादिया मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः

### आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा न. 155 रकबा 0.59 हैक्टर राजस्व ग्राम मदनसर पटवार हल्का भीमसर में से वादिया को विक्रय पत्र दिनांकित 04.09.2017 के अनुसार 0.36 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 21.3.18

(अलका बिश्नोइ)